आखिरी जांच: 6 अक्टूबर 2026 · Directorate of Social Security and Pensions (Revenue Department), Government of Karnataka

Monthly Assistance to Acid Attack Victims

कर्नाटक सरकार एसिड हमले की पीड़ित महिलाओं को मासिक भत्ता देती है, जिन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग से राहत मिल चुकी है।

क्या मिल सकता है

पात्र महिलाओं को सम्मान से जीने में मदद के लिए 10,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलता है।

किसके लिए है

एसिड हमले की शिकार महिलाएं, जिन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की सुरक्षा योजना में मुआवजा मिल चुका है।

मुख्य शर्तें

- महिला एसिड हमले की पीड़ित होनी चाहिए।
- उसे महिला एवं बाल विकास विभाग की सुरक्षा योजना के तहत राहत मिल चुकी हो।

दस्तावेज़

- महिला एवं बाल विकास विभाग से राहत मिलने का आदेश
- तय प्रपत्र में आवेदन
- बैंक और डाकघर खाते का विवरण
- आधार कार्ड

आवेदन कैसे करें

1. अपने क्षेत्र के अटल जनस्नेही केंद्र के जरिए तय प्रपत्र में आवेदन करें।
2. राहत का आदेश, बैंक या डाकघर खाते का विवरण और आधार कार्ड साथ लगाएं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://dssp.karnataka.gov.in/dssp/Acidvictimscheme.aspx
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/karnataka/ka-dssp-acid-attack-monthly-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।